

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों जिनकी कुल लम्बाई 9 किमी0 एवं 1 सेतु पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 76.02 लाख (₹ छियत्तर लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या:- 1102/XXVII/(2)/2015 दि0:- 04 जनवरी, 2017 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 06 / III(2)/17-23(प्रा0आ0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 06 / III(2)/17-23(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-469/16 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लैन्सडॉन में विकासखण्ड रिखणीखाल के वयेला मल्ला से बगरखाल तक मोटर मार्ग कार्य(प्रथम चरण)।	2.00	14.42	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-473/16 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडॉन में विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत मन्दाल नदी पर ढिकोलिया में आर०सी०सी० सेतु का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)।	275 mtr.	27.90	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड से धोबीघाट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5.00	16.85	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव-बिजपुर-रावतगांव-पनियाला मोटर मार्ग के किमी० 1 से पिपलोगी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	2.00	16.85	0.10
कुल		9.00 + 1 Bridge	76.02	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 06/III(2)/16-23(P.E.)/2016

अलोटमेंट आई डी - S1701220056

अनुदान संख्या - 022

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Jan-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के
800 - अन्य व्यय
03 - राज्य सेक्टर
02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	9030000	10000	9040000
	9030000	10000	9040000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10000

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग,
एताराखण्ड शासन।

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के
- 800 - अन्य व्यय
- 03 - राज्य सेक्टर
- 02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृद्धि निर्माण कार्य	9120000	30000	9150000
	9120000	30000	9150000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

30000

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग -
उत्तराखण्ड शासन।

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन- I" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 27 / 20 याता0'क' / 2017

दिनांक- 10.01.2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/टिहरी।
- अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम्/द्वादस वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- अधिसासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

IT head (op.)
upload!

12/1/17

15/01/17
कार्यालय प्रमुख अ. एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून